न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 174/2021 अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दिलीपसिंह पुत्र मदनसिंह 2. भोजराजसिंह पुत्र मदनसिंह 3. थानसिंह पुत्र मदनसिंह जातियान – राजपूत, निवासीयान – हाथीसिंह का गांव, तहसील – शिव, बाड़मेर		1. मदनसिंह पुत्र खुमाणसिंह, 2. उदयकंवर पत्नी नीम्बराजसिंह, 3. गजेसिंह वल्द नीम्बराजसिंह, 4. दुर्जनसिंह वल्द खुमाणसिंह 5. दीपसिंह वल्द खुमाणसिंह, 6. सरूपसिंह वल्द खुमाणसिंह जाति राजपूत निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण :– 1. वादी अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार से है। जो पूर्व पुरूष स्व0 खुमाणसिंह के वशंज है। जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर कमश 301, 407/301, 405/299, 442/188 रकबा कमश 0.9389, 2.7761, 6.8230, 4.5487 हैक्टयर व ग्राम विरधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल नागडदा के खसरा नम्बर 243 रकबा 34.4792 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में मिली है। उक्त भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर कमश 301, 407/301, 405/299, 442/188 रकबा कमश 0.9389, 2.7761, 6.8230, 4.5487 हैक्टयर में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा बनता है तथा ग्राम विरधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल नागडदा के खसरा नम्बर 243 रकवा 34.4792 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 209/852 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण की सहदायिकी भूमि होने से वादीगण का 783/4860 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 261/4860 वां हिस्सा बनता है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 आपस में परस्पर पुत्र पिता है। प्रतिवादीगण को उन्हे यह वादग्रस्त आराजी अपने पिता स्व0 खुमाणसिंह पुत्र राणसिंह के देहान्त होने पर विरासत में प्राप्त [illegible] वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा [illegible] है [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 पिता पुत्र होने तथा संयुक्त हिन्दू परिवार [illegible] से उनके अधिकार जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में निहित [illegible] वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्सा मुजब अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा व खसरान् के कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा वादीगण की शादियां हो जाने से वे अपने अपने परिवार सहित वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर अपने माता–पिता से अलग मकान बनाकर रहते है तथा बरसात के मौसम में अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है, लेकिन राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

रेकर्ड में वादीगण 3 का नाम नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसीलिए वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतौनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है। बाकी प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। सिर्फ रेकर्डेड खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार कर अपनी अनापत्ति जाहिर की है। उभय पक्ष की ओर से बतौर साक्ष्य अपने बयान शपथ पत्र पेश किये। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा जरीये अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हो एक राय होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद तस्दीक राजीनामा अनुसार सहखातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, खतौनी बन्दोबस्त व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी के खतौनी बन्दोबस्त ग्राम मौजा हाथीसिंह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 301, 407/301, 405/299, 442/188 रकबा क्रमश 0.9339, 2.7761, 6.8230, 4.5487 हैक्टयर व ग्राम विरधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल नागडदा के खसरा नम्बर 243 रकबा 34.4792 हैक्टयर भूमि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति है। जो उन्हें स्व0 खुमाणसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह वादीगण का पिता है और वादीगण के अतिरिक्त मदनसिंह के अन्य कोई वारिस नहीं है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मत: हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत मौजा हाथीसिंह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 301, 407/301, 405/299, 442/188 रकबा क्रमश 0.9339, 2.7761, 6.8230, 4.5487 हैक्टयर की भूमि तथा ग्राम विरधसिंह की ढाणी पटवार मण्डल नागडदा के खसरा नम्बर 243 रकबा 34.4792 हैक्टयर भूमि की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को बहक बराबर हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को [illegible] अनुसार [illegible] में [illegible] सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे[illegible]लास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक [illegible]
(SDO) शिव